तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम अजय वगैरा
प्रकरण संख्या 188 / 2019
धारा 136

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2019 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया गया। प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ने डीएलएमआरपी योजना के तहत अपवादित खातों के निस्तारण हेतु पटवारी हल्का धुन्धाड़ा ने मौका रिपोर्ट की तथा कथन किया कि ग्राम धुन्धाड़ा के खसरा नं. 506 रकबा 58.13 बीघा में अप्रार्थीगण अजय पुत्र लाबूराम भलाराम पुत्र लाबूराम देवी पत्नी कानाराम खीमाराम पुत्र कानाराम नरसीगराम पुत्र कानाराम 1/3 प्रभूराम पुत्र भोमाराम 1/3 बीजाराम पुत्र खुमाराम 1/3 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हैं व मिसल बन्दोबस्त में फतेसिह वल्द चैनसिंह कौम राजपूत 3/8 खूदकाश्त मार्फत शैरा वल्द लच्छा 1/3 प्रभुराम वल्द भोमा बीजा वल्द खुमा 1/3 हिस्सा दर्ज हैं अप्राथीगण का 1/3, 1/3 व 1/3 हिस्सा दर्ज होने से पूरे खाते का हिस्सा 1 से अधिक हो जाता हैं। मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से अप्रार्थीगण का नाम हटाये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तामिल शुद्वा नोटिस प्राप्त जो कि शामिल मिसल किया गया। पर्याप्त समय देने के बाद भी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

चूंकि ऐसी स्थिति में वर्तमान में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी डीएलआरएमपी योजना में दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण किया जाना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता हैं। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। मिसल बन्दोबस्त में इन्द्राज खातेदारों को मौके पर कब्जा–काश्त नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना उचति नहीं समझते हैं बल्कि इनसे हिस्से को उचित तरीके से विभाजित कर प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जा सकता हैं। चूंकि इस प्रकरण में सहखातेदार अजय पुत्र लाबूराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर ICICI बैंक शाखा धुन्धाड़ा से कृषि ऋण ले लिया है जिसका जमाबन्दी खाते में रहन दर्ज है। अतः तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। तथा आदेश दिये जाते हैं कि मिसल बन्दोबस्त अनुसार पर्वत सिंह पुत्र गिरवर सिंह जाति राजपूत, शान्ति देवी सुखी देवी, कमला देवी पुत्रीयां गिरधारी राम जाति हरीजन एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा शामलाती 3/8 रेकर्ड दुरुस्त करें तथा आवश्यक इन्द्राज कर पालना से अवगत करावें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी